8

151
23.2.19

संपत्ति अवभार-प्रमाण पत्र

चूँकि श्री अश्वनी कुमार गुप्ता ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए ऐ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में 1 में और उससे संबंध अनुक्रमणियों में ता0 1.6.2.2010 से ता0 27.2.2019 तक तलासी की गई और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। नहीं

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति विशेष		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा		रजिस्ट्री	रजिस्ट्री	रजिस्ट्री			
	फैजाबाद		985 —	2800 —	47 %			
	कोहुआ		" —	2801 —	11 %			
	थाना न० —	482	" —	2799 —	24 %			
	अंचल —		" —	2698 —	13 %			
	ऑफ		783 —	2697 —	23 %			
				कुल —	56 %			

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज का दर और भुगतान की संपत्ति दर्ज करें। जिससे कि इसके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा से पट्टे की अवधि और वार्षिक भाड़ा दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) - मनोज कुमार

(पदनाम) - लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की:-

(हस्ताक्षर) - रेणु कुमारी

(पदनाम) - नि० वि०

कार्यालय - मोतिहारी

तारीख - 27.2.19 मुहर -

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
27.2.19

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है ये आवेदक द्वारा यहाँ प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबंधित में लिखाया गया है, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इंजेक्सन) इस प्रमाण पत्र में शामिल में किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणिकों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विशिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जावेगी।

(क) किन्तु, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक से स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने घरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में लिये गये तलाशी परिणाम की किसी चूक के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा।

सहायक निबंधक अभिलेख मोतिहारी
आवेदन - 230 दिनांक - 27.2.19

यह प्रमाणपत्र केवल बैंक ऑफ इंडिया आगरा साकेत नगर कुमारबाग बरेली के लिए

सहायक निबंधक
27.2.19